

भारत सरकार  
कार्यालय, आयकर आयुक्त, जमशेदपुर

आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १२२/एए के तहत आवेदन  
जमशेदपुर, दिनांक 31.01.2006, 2006

(SOCIAL & HEALTHY ACTION FOR RURAL  
EMPOWERMENT) VILL & P.O. SARANDA, JAMSHEDPUR  
EAST SINGHPUR, JHARKHAND

आयकर अधिनियम की उपर्युक्त धारा के तहत निम्नलिखित उक्त आवेदन लिखित पत्र में दिनांक 23-06-2005 को अपने सविधान दिनांक ..... की प्रतिलिपि के साथ दिया है। उक्त आवेदन लिखित समय के 3 साल 2 माह के विलम्ब के बाव दिया गया है। चूंकि ट्रस्ट/संस्था के आवेदन पत्र देने में विवरण के पर्याप्त कारण नहीं पाए गए तथा वेरी के न्याय संगत कारण नहीं दिए जाने के कारण इस संस्था का संजीकरण आयकर अधिनियम की धारा १२२/एए के अन्तर्गत दिनांक 23-06-2005 से प्रभावी होगा, स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस कार्यालय में धारा १२२/एए के अधीन रखे गए आवेदन पत्र की नंजी में इस आवेदन की तकनीकी/12A/ VIII-02/05-06/ संख्या में प्रेषित कर दिया गया है।

हो/  
(एस.के. सिन्हा)

आयकर आयुक्त, जमशेदपुर

ज्ञापन सं० : तकनीकी/12A/05-06/TECH/ VIII-02/1560-64  
जमशेदपुर, दिनांक 31-01-2006

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. Social & healthy action for Rural Empowerment, Vill & P.O. Saranda, J.P.R. East Singh Jharkhand
  2. अपर आयकर आयुक्त, परिसेत्र- १,२, एवं ३, जमशेदपुर
  3. आयकर उपायुक्त/सहायक आयकर आयुक्त, अंचल-१,२ एवं ३, जमशेदपुर, आयुक्त जमशेदपुर
- निम्नलिखित निर्देशों के साथ -

1. उपर्युक्त आवेदक को आयकर विवरणी प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
2. आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १२२/एए की प्राप्ति के संबंध में आवश्यक जांच करें।



(जोतन राम)

आयकर अधिकारी (तकनीकी)

कृते :- आयकर आयुक्त, जमशेदपुर  
जोतन राम

आयकर अधिकारी (तकनीकी)  
इसे आमंत्रित आयुक्त, जमशेदपुर